



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1943 (श०)

(सं० पटना 742) पटना, वृहस्पतिवार, 26 अगस्त 2021

सं० 151/रा०

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

संकल्प

23 जुलाई 2021

राज्य सरकार ने हिन्दी की प्रगति एवं विकास के लिए सरकार को परामर्श देने तथा राज्य सरकार के विभागों एवं कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण करने के उद्देश्य से इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्पों को विलोपित करते हुए हिन्दी प्रगति समिति का निम्नलिखित रूप में पुनर्गठन किया है—

1. श्री सत्यनारायण,  
बी०पी० सिन्हा पथ, डी० ब्लॉक, कदमकुआँ, पटना—3 — अध्यक्ष
2. डॉ० सविता सिंह नेपाली,  
द्वारा श्री के० सी० मिश्रा, जी० 78 पी० सी० कॉलोनी,  
मंजु सिन्हा पार्क के सामने, कंकड़बाग, पटना—20 — उपाध्यक्ष
3. श्री बाबूलाल मधुकर,  
105 स्लम, लोहियानगर, पटना—20 — उपाध्यक्ष
2. इस समिति की कालावधि इसके गठन की तारीख से तीन वर्षों की होगी लेकिन सरकार लोकहित में इसकी अवधि को घटा या बढ़ा भी सकेगी।
3. इस समिति के 6 (छः) गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन बाद में किया जाएगा।

पदेन सदस्य

1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग — सदस्य
2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग — सदस्य
3. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग — सदस्य
4. सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग — सदस्य
5. निदेशक, राजभाषा — सदस्य सचिव

## 4. समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:-

- (क) सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देना।
- (ख) बिहार ऑफिसियल लैंग्वेज एक्ट 1950 तथा बिहार लैंग्वेज ऑफ लॉज एक्ट 1955 के उपबंधों तथा उनके अधीन समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के कार्यान्वयन के लिए राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति की जाँच करना और उसकी रिपोर्ट सरकार को देना।
- (ग) हिन्दी के सर्वांगीण विकास-विस्तार की दिशा में आवश्यक पहल करना तथा इसके कारगर कार्यान्वयन के लिए सरकार को परामर्श देना।

## 5. समिति का मुख्यालय मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, पटना में होगा।

## 6. समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को दी जानेवाली सुविधाओं के संबंध में वित्त विभाग का परामर्श लेकर अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
संजय कुमार,,  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 742-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>